मीना / ब्रजेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु० नं० 16/2022	नम्बर व ता... जो इस हु... में ...
3/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 21/5/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
21/5/24	पत्रावली पेश हुई, बहस सुनी गई, वास्ते निर्णय दिनांक 27-5-24 को पेश हो उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	
27/5/24	पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल है, पत्रावली कोताल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :– 16 / 2022
प्रकरण रज्जु दिनांक :–20.10.2021
निर्णय दिनांक . 27.5.2024

उनवान

प्रकरण :– वास्ते 136 एल.आर.एक्ट वास्ते संशोधन हेतु

प्रकरण का उनवान

मीना पुत्री देवीसहाय पत्नी सुरेश जाति ब्राहमण निवासी झौंपडी पैसेरान तहसील बसवा जिला–दौसा राजस्थान

(प्रार्थिया)

बनाम

1. बृजेश पुत्र चिरंजीलाल
2. फतेहचंद उर्फ पप्पू पुत्र चिरंजीलाल
3. रूपचंद उर्फ छोटेलाल पुत्र चिरंजीलाल
   जाति ब्राहमण निवासी झौंपडी पैसेरान तहसील बसवा जिला–दौसा
4. शीला पुत्री चिरंजीलाल पत्नी पूरन जाति ब्राहमण निवासी मुरलीपुरा तहसील राजगढ जिला–अलवर
5. छोटी पत्नी हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी निमोला तहसील राजगढ जिला–अलवर
6. मनीष पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण नि.झौंपडी पैसरान तह.बसवा
7. रंजना पुत्री राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी झौपडी पैसेरान तह.बसवा
8. रामवतार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी झौंपडी पैसेरान तह.बसवा
9. सोनिया पुत्री राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी झौंपडी पैसेरान तह.बसवा
10. अनिता पुत्री देवीसहाय जाति ब्राहमण निवासी झौपडी पैसेरान तह.बसवा
11. तहसीलदार महोदय, तहसील बसवा जिला–दौसा राजस्थान

(अप्रार्थीगण)

–:निर्णय :–

दिनांक :–27.5.2024

प्रार्थना–पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत:–
उपस्थिति :– प्रार्थिया की ओर से एडवाकेट श्री विनोद कुमार शर्मा

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अंतर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया । प्रस्तुत प्रा.पत्र में तहरीर किया गया कि ग्राम झौंपडी पैसेरान पटवार हलका पण्डितपुरा में खाता संख्या नया 6 पुराना 7 के आराजी खसरा नंबर 464 / 208, 466 / 209, 268 / 210, 470 / 109, 472 / 111 कुल खसरा 5 कुल रकबा 0.94 हैक्टयर भूमि स्थित है । जिसकी प्रार्थिया हिस्सा 4 / 5 की किस्सेदार हैं एवं अप्रार्थी संख्या 10 हिस्सा 1 / 5 है एवं किशोर पुत्र जगन्नाथ अविवाहित ही फौत हो गया था, वह महात्मा बन गया था । ग्राम झौंपडी पैसेरान में ही खाता संख्या नया 60 पुराना 60

के आराजी खसरा नंबर 206, 207, 211, 274, 316, 317, 318, 463/208, 467/209, 469/210, 471/109, 473, 111 कुल खसरा नंबर 12 कुल रकबा 2.39 हैक्टयर भूमि ग्राम झौंपडी पैसेरान में स्थित है, जिसके खातेदार 1 लगायत 9 हैं । पैरा संख्या 1 व 2 में अंकित भूमि, अर्थात् उक्तानुसार, में वर्णित भूमि खसरा नंबर 168 के बाबत एक दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा एस.डी.एम. बांदीकुई में चला जिसमें राजीनामा अनुसार डिक्री पारीत की गई । पैरा नंबर 1 व 2 में अंकित खसरा नंबरान के पुराने खसरा नंबर 102, 131, 130, 168, 138 रहे हैं । प्रकरण में राजीनामा अनुसार दोनों पक्षों में इस प्रकार बंटवारा हुआ – अप्रार्थीपक्ष रामवतार, चिरंजीलाल, राधेश्याम, किशोर पुत्रान जगन्नाथ ब्राह्मण खसरा नंबर 102 रकबा 1 बीघा, 131 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं 168 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कुल साबिक खसरा 3 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार बनाया गया एवं प्रार्थी पक्ष यथा–कमला बेवा देवीसहाय, मीना, सनीता, अनिता व ममता पुत्रियान देवीसहाय को साबिक खसरा नंबर 102 रकबा 19 बिस्वा, 130 रकबा 3 बिस्वा, 131 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 138 रकबा 3 बिस्वा, एवं 168 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार बतौर विभाजन किया गया । मौके पर दोनों पक्षकार उक्तानुसार ही काबिज काश्त हैं । खसरा नंबर 165 का अपने हिस्से में संपूर्ण भाग प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 10 व ममता व सुनीता द्वारा पूर्व में विक्रय किया जा चुका है । मुताबिक प्रार्थना पत्र विवाद दिनांक 4.9.2021 को प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगणों के मध्य इस बिन्दु पर उत्पन्न हुआ कि अप्रार्थीगणों 1 लगायत 9 ने प्रार्थिया से कहा की जिस भूमि पर तुम काबिज हो वह रिकोर्ड में हमारे नाम है तुम्हे बेदखल करके रहेंगे । प्रार्थिया ने प्रा.पत्र में अंकित किया है कि जो निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.1997 को एसडीओ बांदीकुई द्वारा सुनाया गया था उसकी पालना त्रुटिपूर्ण की गई है । साबिक खसरा नंबर 138 नया नंबर 274 है, जो निर्णय अनुसार प्रार्थिया के पक्ष में होना चाहिए था किंतु उसे अप्रार्थीगणों के नाम कर दिया । इसी प्रकार खसरा नंबर 131 के नये खसरा नंबर 206 लगायत 210 बने हैं जो कि पार्टी संख्या बी/प्रार्थी के नाम खसरा नंबर 208, 209, 210 जिसमें जमीन ज्यादा दर्ज कर दी गई । करीबन 2 बीघा 14 बिस्वा जमीन ज्यादा दर्ज कर दी । जबकि निर्णय में पार्टी नं. बी के नाम खसरा नंबर 131 में से भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा ही देनी थी । खसरा नंबर 130 का नया नंबर 211 बना है जो पार्टी संख्या ए अप्रार्थी 1 लगायत 9 के नाम दर्ज है जबकि खसरा नंबर 130 पार्टी संख्या बी प्रार्थी पक्ष के नाम दर्ज होना था, खसरा नंबर 470/109, 472/111 दोनों खसरा नंबर पुराने खसरा नंबर 102 से बने हैं, जिसमें 25 एयर भूमि प्रार्थिया पार्टी नंबर 1 के नाम दर्ज कर दी जो मामूली सी ज्यादा है । खसरा नंबर 274 सडक के लगते हुए नंबर हैं जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा हैं जबकि राजीनामा व डिक्री अनुसार यह नंबर बंटवारे के अनुसार प्रार्थिया के पक्ष में अंकित होना था । लिहाजा पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 18.6.1997 की पालना में जो त्रुटि हुई है उसे संशोधित करने के आदेश फरमाये जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है । अप्रार्थी संख्या 10 अनिता की ओर से एडवोकेट श्री ओमप्रकाश सैनी द्वारा वकालतनामा पेश किया । किंतु उनके द्वारा ना तो प्रार्थना पत्र 136 का जवाब प्रस्तुत किया एवं न ही उनके द्वारा प्रकरण में कोई उज्र उत्पन्न किया ।

प्रार्थी पत्र द्वारा उनके प्रा.पत्र 136 के क्रम में एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. में एक प्रा.पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थिया द्वारा जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 136 में प्रा.पत्र पेश किया है उसके पैरा नंबर 4 के अंत में खसरा नंबर 168 के बजाए 165 सहवन से दर्ज हो गया है, जबकि सही अंकन यह है कि प्रा.पत्र में अंकित खसरा नंबर 165 के स्थान पर 168 पढा जावे चूंकि प्रार्थी पक्ष द्वारा खसरा नंबर 168 विक्रय किया है । अतः संशोधन को अनुमति प्रदान की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

उक्त प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 6 नियम 17 न्यायहित में वाजिब होने से, इस प्रा. पत्र को स्वीकार किया गया ।

प्रकरण के कम में तहसीलदार बसवा से प्रकरण की रिपोर्ट ली गई । उनके द्वारा पत्रांक पैरोकार सरकार/2023/674 दिनांक 8.8.2023 के संलग्न रिपोर्ट भिजवाई । इस रिपोर्ट में इस प्रकार अंकन किया गया कि –

"1. वादी वर्तमान जमाबंदी ग्राम झौंपडी पैसेरान संवत् 2076–79 के खाता संख्या 6 में अनीता पुत्री देवीसहाय हि. 1/5 व मीना पुत्री देवीसहाय हि. 4/5 जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 4/5 (पूर्ण खाता) इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा बांदीकुई । 464/208/0.19, 466/209/0.20, 468/210/0.30, 470/109/0.17, 472/111/0.08 किता 5 रकबा 0.94 हैक्टयर दर्ज रिकोर्ड है ।

2. प्रतिवादी वर्तमान जमाबंदी ग्राम झौंपडी पैसेरान संवत् 2076–79 के खाता संख्या 60 में किशोर, चिरंजीलाल पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2, मनीष पुत्र राधेश्यात हि. 1/12, रंजना पुत्री राधेश्याम हि. 1/12, सोनिया पुत्री राधेश्याम हि. 1/12, रामवतार पुत्र जगन्नाथ हि. 1/4 राहिन हि. 1/4 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लि. शाखा दौसा जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार रिकोर्ड दर्ज है । खसरा नंबर 206/0.31, 207/0.11, 211/0.04, 274/0.04, 316/0.45, 317/0.02, 318/0.98, 463/208/0.05, 467/209/0.08, 469/0.07, 471/109/0.16, 473/111/0.08 किता 12 रकबा 2.39 हैक्टयर रिकोर्ड दर्ज है ।

3. प्रतिवादी फतहचंद पुत्र चिरंजीलाल हि 1/9, बृजेश पुत्र चिरंजीलाल हि. 1/9, मनीष पुत्र राधेश्याम हि. 1/9, रंजना पुत्री राधेश्याम हि. 1/9, रूपचंद पुत्र चिरंजीलाल हि. 1/9, सोनिया पुत्री राधेश्याम हि. 1/9, रामवतार पुत्र जगन्नाथ हि. 1/3 जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार राहिन हि.1/3 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक शाखा दौसा जमाबंदी संवत् 2076–79 ग्राम झौंपडी पैसेरान खाता संख्या 48 अनुसार उपरोक्त खातेदार निम्न खसरों में रिकोर्ड दर्ज है । खसरा 319/0.86, 320/0.55 हैक्टयर किता 2 रकबा 1.41 हैक्टयर ।

4. वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार व उनवानी प्रकरण संख्या 125/3/96 माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई उनवान रामवतार वगैरह बनाम चिरंजीलाल वगैरह के निर्णय दिनांक 18.6.1997 के अनुसार वादी व प्रतिवादी का निम्नानुसार बंटवारा किया गया था ।

अंतिम डिकी प्रकरण संख्या 125/3/96 निर्णय दिनांक 18.6.1997 अनुसार बंटवारा निम्नानुसार है :–

		खसरा नं.	रकबा
A	मु. कमला बेवा देवीसहाय	102	19 बिस्वा
	मु.मीना, सुनीता,अनिता व ममता	130	3 बिस्वा
	पुत्रीयान देवीसहाय जाति ब्राहमण	131	2 बीघा 10 बि.
	सा.देह खातेदार	138	3 बिस्वा
		168	5 बीघा 13 बि.
		योग :–	9 बीघा 8 बिस्वा
B	रामवतार, चिरंजीलाल, राधेश्याम	102	1 बीघा
	किशोर पुत्रान जगन्नाथ जाति	131	2 बीघा 14 बि
	ब्राहमण सा.देह खातेदार	168	5 बीघा 13 बि
		योग :–	9 बीघा 7 बिस्वा

उपरोक्त पुराने खसरों का मिलान क्षैत्रफल से मिलान किया गया जो निम्नानुसार है ->

खसरा नंबर (गत)	खसरा नंबर (नवीन)
102 -> 1 बीघा 19 बिस्वा	109/0.33, 111/0.16
130-> 3 बिस्वा	211/0.04
131-> 5 बीघा 4 बिस्वा	206/0.31, 207/0.11, 208/0.24, 209/0.28, 210/0.37
138-> 3 बिस्वा	274/0.03
168-> 11 बीघा 6 बिस्वा	316/0.45, 317/0.02, 318/0.98, 319/0.86, 320/0.55

उक्त बंटवारे के हक में वादी व प्रतिवादी का नामान्तकरण नामान्तकरण संख्या 2 के अनुसार नामान्तकरण खोला गया था, निम्नानुसार है :-

वादी :- मु.कमला बेवा देवीसहाय, मु.मीना, सुनीता, अनीता, ममता पुत्रीयान देवीसहाय जाति ब्राहमण सा.देह - 109/1/0.17, 111/1/0.08, 208/1/0.19, 209/1/0.20, 210/1/0.30, 319/0.86, 320/0.55 कुल किता 7 रकबा 2.35 हैक्टयर दर्ज किया गया था।

प्रतिवादी :- रामवतार, चिरंजीलाल, राधेश्याम, किशोर पुत्रान जगन्नाथ जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार 109/2/0.16, 111/2/0.08, 206/0.31, 207/0.11, 208/2/0.05, 209/2/0.08, 210/2/0.07, 211/0.07, 274/0.04, 316/0.45, 317/0.02, 318/0.98 कुल किता 12 रकबा 2.39 हैक्टयर दर्ज किया गया था ।

वर्तमान में कब्जा व सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर मुताबिक डिक्री के अनुसार खाता निम्न प्रकार होना उचित होगा ->

डिक्री के अनुसार प्रस्तावित :-

वादी पक्ष	प्रतिवादी पक्ष
->102 :- 19 बिस्वा (पुराना खसरा) -> 470/109/0.17, 472/111/0.07 रकबा 0.24 हैक्टयर ->130 :- 3 बिस्वा पुराना खसरा -> 211/0.04 ->138 :- 3 बिस्वा पुराना खसरा -> 274/0.04 ->131 2 बीघा 10 बिस्वा पुराना खसरा रकबा 0.63 हैक्टयर -> 464/208/0.18, 466/209/0.18, 468/210/0.27 ->168 :- 5 बीघा 13 बिस्वा -> नया खसरा 319/0.86,320/0.55 नोट :- खसरा नंबर 319, 320 का बेचान नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 20.9.2005 के द्वारा विक्रय कर दिया गया था। खसरा नंबर 319, 320 किता 2 रकबा 1.41 हैक्टयर	->102 - 1 बीघा पुराना खसरा -> 471/109/0.16, 473/111/0.09 रकबा 0.25 हैक्टयर -> 131 - 2 बीघा 14 बिस्वा -> 206/0.31, 207/0.11, 463/208/0.06, 467/209/0.10, 469/210/0.10 रकबा 0.68 हैक्टयर ->168 - 5 बीघा 13 बिस्वा पुराना खसरा -> 316/0.45, 317/0.02, 318/0.98 (मुहर: उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट)

हमने तहसीलदार बरावा द्वारा पेश उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया । प्रकरण के संबंध में पूर्व में उनवानी प्रकरण संख्या 125/3/96 माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर गंगापुर उनवान रामवतार वगैरह बनाम चिरंजीलाल वगैरह के निर्णय दिनांक 18.6.1997 का भी अवलोकन किया । प्रार्थी वकील की बहस को सुना व मनन किया ।

बाद अवलोकन हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी संख्या 10 के खाता संख्या नया 6 पुराना 7 ग्राम झौंपडी पैरोरान में पूर्व अंकित खसरा नंबर व रकबा के स्थान पर खसरा नंबर 470/109 रकबा 0.17, 472/111 रकबा 0.07, 464/208 रकबा 0.18, 466/209 रकबा 0.18, 468/210 रकबा 0.27 हैक्टयर अंकित करने के साथ–साथ खसरा नंबर 211 रकबा 0.04 एवं 274 रकबा 0.04 हैक्टयर का अंकन इस खाते में किया जाना एवं खाता संख्या 60 से उक्त खसरा नंबर 211 व 274 को विलोपित किया जाना विधिसम्मत है ।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के खाता संख्या 60 ग्राम झौंपडी पैसेरान में पूर्ववर्ती खसरा नंबरान व रकबा के स्थान पर – खसरा नंबर 471/109 रकबा 0.18 हैक्टयर, 473/111 रकबा 0.09 हैक्टयर, 206 रकबा 0.31 हैक्टयर, 207 रकबा 0.11 हैक्टयर, 463/208 रकबा 0.06 हैक्टयर, 467/209 रकबा 0.10 हैक्टयर, 469/270 रकबा 0.10 हैक्टयर, 316 रकबा 0.45 हैक्टयर, 317 रकबा 0.02 हैक्टयर, 318 रकबा 0.98 हैक्टयर अंकन करने के साथ, खसरा नंबर 211 रकबा 0.04 हैक्टयर एवं 274 रकबा 0.04 हैक्टयर इस खाते से विलोपन किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है । जिसे प्रार्थिया दुरस्त करवाने के अधिकारी है ।

आदेश

संपूर्ण परिवाद का अवलोकन करने के उपरांत निम्न प्रकार संशोधन राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में करने के आदेश राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती हेतु आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी संख्या 10 के खाता संख्या नया 6 पुराना 7 ग्राम झौंपडी पैसेरान में पूर्व अंकित खसरा नंबर व रकबा के स्थान पर खसरा नंबर 470/109 रकबा 0.17, 472/111 रकबा 0.07, 464/208 रकबा 0.18, 466/209 रकबा 0.18, 468/210 रकबा 0.27 हैक्टयर अंकित करने के साथ–साथ खसरा नंबर 211 रकबा 0.04 एवं 274 रकबा 0.04 हैक्टयर का अंकन इस खाते में किया जाना एवं खाता संख्या 60 से उक्त खसरा नंबर 211 व 274 को विलोपित किया जाने के आदेश दिये जाते है ।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के खाता संख्या 60 ग्राम झौंपडी पैसेरान में पूर्ववर्ती खसरा नंबरान व रकबा के स्थान पर – खसरा नंबर 471/109 रकबा 0.18 हैक्टयर, 473/111 रकबा 0.09 हैक्टयर, 206 रकबा 0.31 हैक्टयर, 207 रकबा 0.11 हैक्टयर, 463/208 रकबा 0.06 हैक्टयर, 467/209 रकबा 0.10 हैक्टयर, 469/270 रकबा 0.10 हैक्टयर, 316 रकबा 0.45 हैक्टयर, 317 रकबा 0.02 हैक्टयर, 318 रकबा 0.98 हैक्टयर अंकन करने के साथ, खसरा नंबर 211 रकबा 0.04 हैक्टयर एवं 274 रकबा 0.04 हैक्टयर इस खाते से विलोपन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

अतः वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में उक्त संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के आदेश एतदद्वारा राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रदान किये जाते हैं । इस आदेश द्वारा केवल खसरा नंबर एवं रकबा एवं 2 खसरों का खाता सं. 60 से विलोपन करके प्रार्थी के खाता सं. 6 में दर्ज करने के आदेश दिये

गये हैं, , शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे । तहसीलदार, बसवा को इस दुरस्ती आदेश की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में संशोधन करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, नंबर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
बसवा